राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 04 / 2020 अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ.

1. हुरतींग पुत्र लालीया भील निवासी हरकापाडा काचला तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाडा।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री वेस्ता पुत्र कमला भील निवासी हरकापाडा काचला तहसील कुशलगढ़।
2. श्री महेश पुत्र कमला भील निवासी हरकापाडा काचला तहसील कुशलगढ़।
3. श्री वीरसिंह पुत्र भलजी भील निवासी गेरछाभाटडा।
4. श्री नारसिंग पुत्र भलजी भील निवासी गेरछाभाटडा।
5. श्री धोलिया पुत्र कलजी भील निवासी हरकापाडा काचला।
6. श्री राजेश पुत्र हरसिंग भील निवासी गेरछाभाटडा।
7. श्री रमेश पुत्र भुरजी भील निवासी गेरछाभाटडा।
8. श्री विनोद पुत्र वीरसिंग भील निवासी गेरछाभाटडा।
9. श्री धर्मेश पुत्र नारसिंग भील निवासी गेरछाभाटडा।
10. श्री प्रेम पुत्र हवला भील निवासी गेरछाभाटडा।
11. श्री गटटु पुत्र भूरजी भील निवासी हरकापाडा काचला।
12. श्री भुरका पुत्र हवला भील निवासी हरकापाडा काचला।
13. श्री कमजी पुत्र बीजीया भील निवासी हरकापाडा काचला।
14. श्री शामजी पुत्र मलजी भील निवासी हरकापाडा काचला।
15. श्री विजेश पुत्र भुरका भील निवासी हरकापाडा काचला।
16. श्री जीतमल पुत्र धोलीया भील निवासी हरकापाडा काचला।
17. श्री गोवन पुत्र कालीया भील निवासी हरकापाडा काचला।
18. श्री भाणजी पुत्र हवला भील निवासी हरकापाडा काचला।
19. श्री इलेश पुत्र पुना भील निवासी हरकापाडा काचला।

.....अप्रार्थीगण

स्थाई निशेधाज्ञा

दिनांक 10.11.2025

प्रार्थी ने विरूद्ध अप्रार्थीगण एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 रा.का.अ. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हरकापाडा प.ह. भगतपुरा तहसील कुशलगढ़ में स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 42, 48, 53 रकबा 1.42 व 1.52, 0.04 कुल 03 खेत रकबा कुल 2.98 वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त के होकर वाद प्रार्थी मालिक व काबीज है व काश्त करता है। खाते की भूमि में वादी ने गत फसल मक्का वगेराह बोई व काटी है। लेकिन वाद के पूर्व दिनांक 16.05.2020 के रोज वादी द्वारा अपने खांते की भूमि में हंकाई करते वक्त कि उक्त सभी प्रतिवादीगण हाथों में लठ पत्थर आदि से लेस मां बहन की गाली गलोज करते हुए हमलावर होकर कहने लगें कि तुम लोग यहां खेती मत करों इस जमीन पर हम खेती करेगें तुमकों खेती नहीं करने देगे ऐसा कहते हुए हमकों घेर लिये व खेतों में हंकाई करतें हुए हमको जान से मारने व खेतों पर जबरन कब्जा करने आमाद हो गयें। निरन्तर हस्तक्षेप कर रहें है। वादग्रस्त भूमि पर मकान टापरा बनाने के लिये थामलियां, लकडियां आदि गाडने के लिए खेत की पश्चिम दिशा सीमा में 10 फीट अन्दर में आकर करीबन 10X15 फीट के खडडे खोदे एवं अतिक्रमण कर 01 बीघा भूमि पर बोई फसल को नष्ट कर दिया। मुझे जबरन बेदखल करने आमादा हो गये जिस बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें।

Scanned with CamScanner

पत्रावली पूर्व में दिनांक 20.07.2020 को दर्ज रजिस्टर होकर न्यायालय में पेश हुई। ावली में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी रोटेशन् संवत् 2072 2075 ग्राम हरकापाडा प.ह. भगतपुरा तहसील कुशलगढ़ में स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 42, 48, 53 रकबा 1.42 व 1.52, 0.04 कुल 03 खेत रकबा कुल 2.98 प्रार्थी (वादी) के खातेदारी व कब्जे काश्त की होने से पूर्व में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में दिया जाकर दिनांक 20.07.2020 से आगामी आदेशों तक प्रश्नगत भूमि में मौके पर यथास्थिति बनाये रखने तथा किसी प्रकार का अनाधिकृत हस्तक्षेप नहीं करने व अन्य से भी नहीं कराने बाबत् अप्रार्थीगण के विरूद्ध अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी। पत्रावली में अप्रार्थीगणों की ओर से दिनांक 14.10.2020 को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का उत्तर अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। उत्तर अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थी वादी के द्वारा अप्रार्थीगण प्रतिवादी की पैतृक कृषि भुमि सर्वे न. 42, 48, 53 कुल 03 खेत रकबा कुल 2.98 एकड में फर्जीवाडा करके अप्रार्थीगण के पुर्वज भलजी जिसकी मृत्यु 1991 में हो चुकी है उसके स्थान पर दुसरा फर्जी व्यक्ति खडा करके सन् 2008 में फर्जीवाडा करके फर्जी एवं कुटरचित झुठा दस्तावेज विक्रय पत्र उपपंजीयक से विक्रय पत्र का पंजीकरण करवाया तथा अप्रार्थीगण बिना जानकारी के राजस्व कर्मचारी से मिलकर फर्जी एवं कुटरचित दस्तावेज के आधार पर अपने नाम राजस्व अभिलेख में नामान्तरण खुलवा कर खातेदारी में दर्ज रिकार्ड करवा लिया जो अप्रार्थीगण के पैतृक सांपत्तिक अधिकारों के एवं हितों के मुकाबलें में शुन्य है। प्रार्थी वादी का वादग्रस्त कृषि भुमि पर उसकें जीवनकाल में कभी कब्जाकाश्त् नहीं रहा है तथा अप्रार्थीगण मृतक भलजी के जीवनकाल से उपरोक्त कृषि भुमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें है। अस्थाई निषेंधाज्ञा जारी किये जाने के लिये वाद पत्र प्रस्तुतीकरण की तिथि को वादी का वादग्रस्त कृषि भुमि पर कब्जाकाश्त होना नितान्त आवश्यक है। केवल फर्जी एवं कुटरचित आधार पर अर्जित खातेदारी से वादी प्रार्थी के वादग्रस्त कृषि भुमि पर काबिज होने की उपधारणा नहीं की जा सकती है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी वादी के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है तथा वादी प्रार्थी जो कब्जा विहिन है माननीय न्यायालय से असत्य तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण काबिज काश्तकार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्तकर अप्रार्थीगण को अपनी पैतृक कृषि भूमि से बेदखल करना चाहता है तथा इस गरज से झूठे तथ्यों पर आधारित वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

दोनो पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेखों, पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का अवलोकन किया गया। मुताबिक जमाबन्दी रोटेशन संवत् 2072 से 2075 व अन्य दस्तावेजों के आधार पर ग्राम हरकापाडा प.ह. भगतपुरा तहसील कुशलगढ़ में स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 42, 48, 53 रकबा 1.42 व 1.52, 0.04 कुल 03 खेत रकबा कुल 2.98 प्रार्थी वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त के होकर वाद प्रार्थी मालिक व काबिज है व काश्त करता है। प्रकरण में खातेदार स्वंय प्रार्थी होकर अनाधिकृत हस्तक्षेप से पीड़ित होने से सुविधा संन्तुलन व कानुन व्यवस्था की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष मे जाता है, **जिसे अन्तरिम स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक शांतिपूर्ण काश्त हेतु प्रार्थी के पक्ष मे दिया जाना न्यायोचित है।**

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी को शांतिपूर्ण काश्त के लिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रश्नगत भूमि में मौके पर यथास्थिति बनाये रखें तथा किसी प्रकार का अनाधिकृत हस्तक्षेप नहीं करें और न ही किसी अन्य से करावें।

यह आदेश आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner